

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) रतननगर..

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान

महमूद अली बनाम राजस्थान सरकार जरीम तहसीलदार

दावा बाबत दावा U/S 88 RTA

मुकदमा नम्बर :- 71

निर्णय दिनांक :- 16.05.22

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.05.22 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी स्वीकार किया जाकर रोही ग्राम रतननगर की जमाबंदी के खाता नं. 93 खे. नं. 265, 266, 267, 928/269 में अंकित माला पुत्री उमरदीन के स्थान पर महमूद अली पुत्र उमरदीन नाम डुरुस्त किम्वे जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार - 20 उम्मानुसार राजस्थान अधिलेख में अमल दराजद करे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 16.05.22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(सत्यनारायण)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील		
जोड़		जोड़



11050 1973
16.05.2022